संचालनालय तकनीकी शिक्षा,मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

विषय :– दिनांक 7.05.2010 को आयोजित वीडियो कांन्फ्रेन्स में समीक्षा के बिन्दु।

1. संस्था की बेवसाइट की स्थिति एवं उस पर उपलब्ध संस्था संबंधी समस्त आवश्यक जानकारियों की अद्यतन स्थिति।
2. विगत् वर्ष 2009–10 में उपलब्ध कराये गये बजट के उपयोग संबंधी जानकारी।
3. संस्था में वित्तीय वर्ष 2010–11 के प्रथम तीन माह हेतु बजट राशि की आवश्यकता एवं संबंधी प्रस्ताव का प्रेषण।
4. संस्था में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को स्कालरशिप, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि के प्रदाय संबंधी जानकारी।
5. विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना एवं सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभावित विद्यार्थियों की जानकारी।
6. नेशनल मिशन आन एजुकेशन थ्रु इंफरमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी (NMEICT) योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय के लिए बीएसएनएल से ब्रांड बैण्ड कनेक्टिविटी प्राप्त करने हेतु की गई कार्यवाही।

उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. वर्ष 2010–11 में प्रदेश के इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑन लाइन ऑफ कैम्पस् काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने है। प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र, संस्था संबंधी आवश्यक जानकारी वेबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त करेगें।

   संचालनालय द्वारा भी भविष्य में सूचना/आदेशों का अदान–प्रदान वेबसाइट/ई–मेल के माध्यम से किये जायेगे। अतः संस्था की वेबसाइट पर समस्त आवश्यक जानकारियॉ की उपब्धता अतिशीध्र सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2. प्रदेश की विभिन्न इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों को विगत वर्ष में आवश्यकतानुसार बजट राशि आवंटित की गई थी। आवंटित राशि का उपयोगता प्रमाण–पत्र संचालनालय में अतिशीध्र प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

3. शासन की वर्तमान में निर्धारित नीति के अनुसार इस वर्ष विभाग को त्रिमाही बजट राशि उपलब्ध कराई जायेगी। अतः विभिन्न इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों से उनकी आवयकतानुसार बजट राशि का प्रस्ताव अतिशीध्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है ताकि उन्हें बजट राशि की स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराया जा सकें।

4. संस्था में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को स्कालरशिप, पुस्तकें, स्टेशनरी, लाभांवित छात्रों की संख्या आदि की विस्तृत जानकारी संबंधित गतिविधियों की मॉनीटरिंग हेतु संचालनालय में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

5. विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना एवं सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभावित विद्यार्थियों की संख्या, उपयोग में लाई गई राशि इत्यादि से संबंधित विस्तृत जानकारी संचालनालय स्तर पर संकलन करने हेतु आवश्यक है।

6. नेशनल मिशन आन एजुकेशन थ्रु इंफरमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी (NMEICT) योजना भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसके अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुये उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों को इन्टरनेट के माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त एवं इंटरेक्टिव नॉलेज माड्यूल्स उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदाय करने के लिये बीएसएनएल के माध्यम से संस्थाओं को 512kbps के 10 बॉडबैण्ड इंटरनेट कनेक्शन 25 प्रतिशत लागत पर असीमित उयोग हेतु दिये जायेगें। शेष 75 प्रतिशत लागत केन्द्र शासन के मिशन द्वारा सीधे बीएसएनएल को भुगतान की जायेगी।

म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ–14–5/2010/बयालीस(1), दिनांक 08 अप्रैल–2010 अनुसार इस संबंध अतिशीध्र कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश.